अजमेर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि.,अजमेर

[An IS/ISO 9001 : 2008 & IS 15000 (HACCP) CERTIFIED ORGANIZATION]

एच एम टी के सामने ब्यावर रोड अजमेर फोन नं 0145 - 2440013,2440027 फेक्स नं 0145 - 2440778

संघ द्वारा दुग्ध उत्पादक सदस्यों को निम्न सामाजिक, आर्थिक व अन्य सुविधाऐ दी जा रही है :–

1. **सरस सुरक्षा कवच योजना :–** इस योजना के अन्तर्गत समिति के 59 वर्ष तक के सदस्यों का 1 वर्ष का बीमा कराया जाता है। जिसकी प्रीमियम राशि 136 रू. में से 12.50 प्रतिशत (सामान्य सदस्य) एवं 20 प्रतिशत (महिला/एस.सी./एस.टी) का अनुदान आर.सी.डी.एफ द्वारा व शेष राशि संघ, समिति, व सदस्य द्वारा बराबर–बराबर वहन कि जाती है।
   1. सदस्य की साधारण मृत्यु पर 30,000/– रूपये
   2. दुर्घटना में बीमित सदस्य की मृत्यु होने पर/दुर्घटना में बीमित सदस्य के स्थायी पूर्ण अपंगता होने पर/दुर्घटना में बीमित सदस्य की दोनों आंखें या दोनो टांगे/बाहे या एक आंख और एक टांग/बाह से स्थायी अपंगता होने पर 75,000/– देय हैं।
   3. बीमित सदस्य की दुर्घटना में एक आंख या एक टांग/बाह से स्थायी अपंगता होने पर 37,500/– देय है।
   4. दुर्घटना में बीमित सदस्य की मृत्यु होने पर 1,00,000/– देय हैं।
   5. दुर्घटना में बीमित सदस्य की पत्नी/पति की मृत्यु होने पर 50,000/– देय हैं।
   6. बीमित सदस्य के नाबालिक दो बच्चों को जो 9 वीं कक्षा से 12 कक्षा में सरकारी स्कूल में अध्ययन कर रहे है। प्रति बच्चें को 100/– रू. प्रतिमाह छात्रवृत्ति देय होगी।

   (नोट – बी.पी.एल. दुग्ध उत्पादक सदस्यों को उक्त योजना में शामिल नहीं किया गया हैं।)
2. **दुधारू पशु बीमा योजना :–** सक्रिय दुग्ध उत्पादक सदस्य के अधिकतम दो दुधारू पशुओं का बीमा अनुदानित दर पर कराया जा रहा है ।
3. **पशु चिकित्सा व तकनीकी आदान सुविधाएं :–** समिति स्तर पर आपातकालीन चिकित्सा सेवा, मिनरल–मिक्सचर, वेटफेन, यू.एम.बी, हरा चारा बीज, प्राथमिक उपचार, टीकाकरण आदि सेवाऐं अनुदानित दर पर उपलब्ध है।
4. **पशु नस्ल सुधार हेतु :–** इसके अन्तर्गत प्राकृतिक एवं कृत्रिम गर्भाधान सुविधा दी जा रही है। प्राकृतिक प्रजनन हेतु सांड/पाडे संघ से 70 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध कराये जा रहे है।
5. **अकाल राहत अनुदान पर पशु आहार :–** समय –समय पर राज्य सरकार की योजनानुसार अकाल राहत के तहत अनुदानित दर पर पशु आहार व चारा दुग्ध उत्पादकों को दिया जाता है।
6. **बाडे में आग से चारा जल जाने पर सहायता :–** दुग्ध उत्पादक के 40 क्वि. तक चारा जलने पर 2000 रूपये व 40 क्वि. से अधिक चारा जलने पर 5000 रूपये राशि की आर्थिक सहायता देय है।
7. **जननी सुरक्षा योजना :–** प्रथम दो प्रसव पर सदस्य को संघ द्वारा 7 लीटर घी नि.शुल्क दिया जाता है।
8. **सदस्य की 60 वर्ष की आयु उपरान्त मृत्यु पर आर्थिक सहायता :–** समिति के कम से कम 10 वर्ष से सक्रिय व 60 वर्ष से ज्यादा आयु के मृतक सदस्य के वारिस को 5000 रूपये संघ से देय है।
9. **सरस छात्रवृति योजना :–** संघ स्टॉफ व कम से कम पांच वर्ष पुराने दुग्ध उत्पादक सदस्य की पुत्री को राजकीय पशुपालन/डेयरी महाविद्यालय में बीवीएससी/बी.टेक (डी.टी)/कम्पाउण्डर कोर्स में प्रवेश लेने पर डिग्री कोर्स के लिए 1500 रूपये व डिप्लोमा कोर्स के लिए 1000 रूपये प्रतिमाह छात्रवृति संघ द्वारा देय है।
   1. दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति के सदस्यों/संघ के कर्मचारियों व अधिकारियों के लडके–लडकियों द्वारा यदि किसी भी राजकीय डेयरी विज्ञान एवं वेटेनरी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय एवं कृषि महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में अध्ययन करते है तो 1500/– रू. प्रतिमाह छात्रवृति राशि संघ द्वारा दी जावेगी।
10. **24 घंटे हेल्प लाईन :–** टेलीफोन नं. 0145–2310085 पर आप अपनी शिकायत या सुझाव दे सकते है।

अध्यक्ष **प्रबन्ध संचालक**